राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1734 / 2025

आशीष कुमार सुरावत —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जल संसाधन, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. राघव मीणा, सहायक अभियंता, बांयी मुख्य नहर, उपखण्ड, सीएडी, कापरेन, जिला बूंदी।
4. अधिशाषी अभियंता, कार्यालय, अधिशाषी अभियंता पीपलखूट, हाई लेवल केनाल प्रोजेक्ट, सेक्शन–ा, बांसवाड़ा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 28.01.2025
आदेश की दिनांक : 10.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सतीश कुमार शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान कर हस्तगत अपील में संशोधन कर संशोधित अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लिया गया एवं सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर कार्यालय लघु जल संसाधन विभाग, उपखण्ड, सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से कार्यालय बांयी मुख्य नहर, उपखण्ड, सीएडी, कापरेन, बूंदी में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 420 कि.मी. दूर किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.01.2025 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त भी कर दिया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.12.2021 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति दी जाकर लघु सिंचाई उपखण्ड सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा में पदस्थापन किया गया था। अपीलार्थी की पत्नी भी राज्य सेवा में अध्यापक ग्रेड–ाा के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निश्नावट, पंचायत समिति कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा में कार्यरत है (अनुलग्नक–4)। राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति के अनुसार पति–पत्नी को एक ही स्थान पर या आस–पास के रिक्त पद पर

पदस्थापन किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अपीलार्थी का पिता हृदय रोग से पीड़ित है। उनका हार्ट एण्ड मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल, बांसवाड़ा में निरन्तर ईलाज चल रहा है (अनुलग्नक–5)। उनकी देखभाल अपीलार्थी के द्वारा ही की जाती है। उनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 31.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को सहायक अभियंता के पद पर कार्यालय लघु जल संसाधन विभाग, उपखण्ड, सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा में निरन्तर कार्य करने दिया जावें एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे।

3. हमनें उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी सहायक अभियंता के पद पर कार्यालय लघु जल संसाधन विभाग, उपखण्ड, सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से कार्यालय बांयी मुख्य नहर, उपखण्ड, सीएडी, कापरेन, बूंदी में प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाकर नियमानुसार 31.01.2025 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। अपीलार्थी वर्तमान पद पर दिनांक 30.12.2021 से कार्यरत है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 31.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।
4. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य